1 दैनिक जागरण
3/02/12

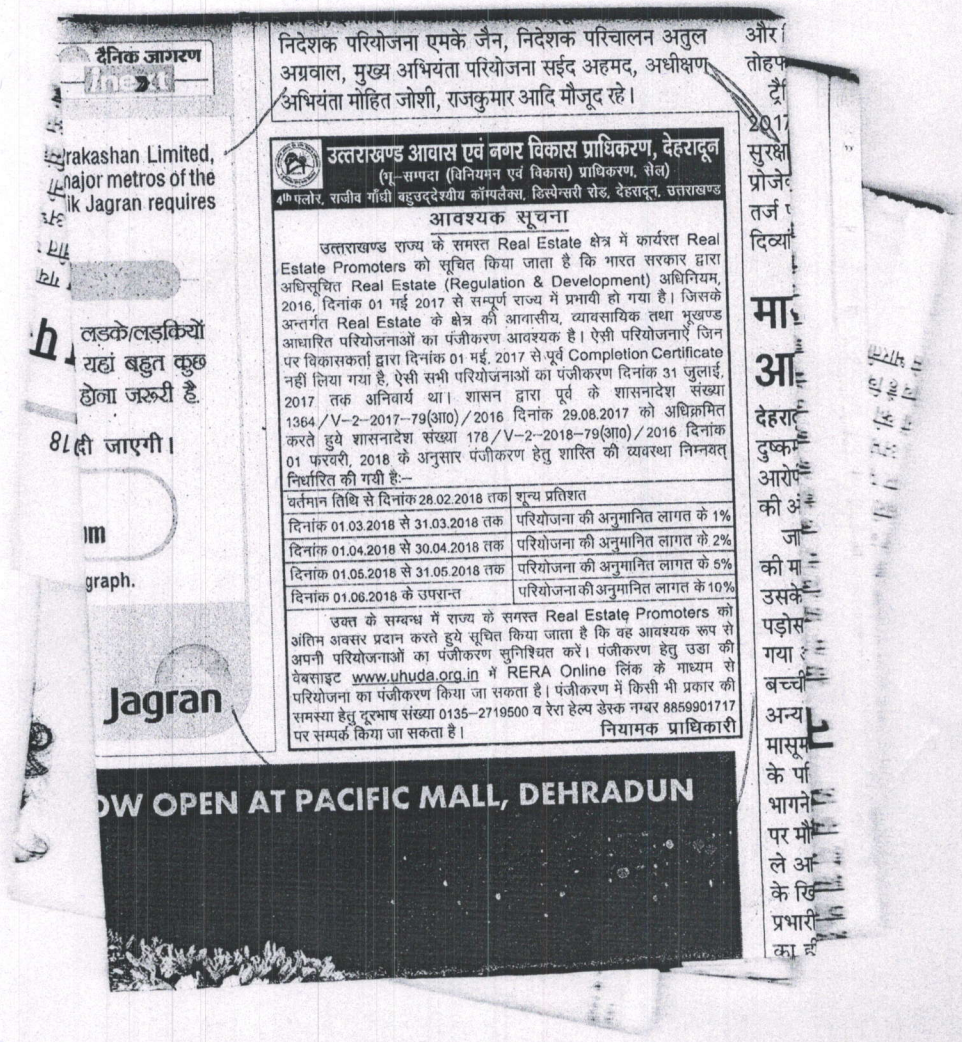

निदेशक परियोजना एमके जैन, निदेशक परिचालन अतुल अग्रवाल, मुख्य अभियंता परियोजना सईद अहमद, अधीक्षण अभियंता मोहित जोशी, राजकुमार आदि मौजूद रहे।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून

(भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) प्राधिकरण, सेल)

4th फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त Real Estate क्षेत्र में कार्यरत Real Estate Promoters को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Real Estate (Regulation & Development) अधिनियम, 2016, दिनांक 01 मई 2017 से सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी हो गया है। जिसके अन्तर्गत Real Estate के क्षेत्र की आवासीय, व्यावसायिक तथा भूखण्ड आधारित परियोजनाओं का पंजीकरण आवश्यक है। ऐसी परियोजनाऐं जिन पर विकासकर्ता द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 से पूर्व Completion Certificate नहीं लिया गया है, ऐसी सभी परियोजनाओं का पंजीकरण दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक अनिवार्य था। शासन द्वारा पूर्व के शासनादेश संख्या 1364/V–2–2017–79(आ0)/2016 दिनांक 29.08.2017 को अधिक्रमित करते हुये शासनादेश संख्या 178/V–2–2018–79(आ0)/2016 दिनांक 01 फरवरी, 2018 के अनुसार पंजीकरण हेतु शास्ति की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की गयी हैः–

वर्तमान तिथि से दिनांक 28.02.2018 तक	शून्य प्रतिशत
दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत के 1%
दिनांक 01.04.2018 से 30.04.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत के 2%
दिनांक 01.05.2018 से 31.05.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत के 5%
दिनांक 01.06.2018 के उपरान्त	परियोजना की अनुमानित लागत के 10%

उक्त के सम्बन्ध में राज्य के समस्त Real Estate Promoters को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये सूचित किया जाता है कि वह आवश्यक रूप से अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें। पंजीकरण हेतु उडा की वेबसाइट www.uhuda.org.in में RERA Online लिंक के माध्यम से परियोजना का पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण में किसी भी प्रकार की समस्या हेतु दूरभाष संख्या 0135–2719500 व रेरा हेल्प डेस्क नम्बर 8859901717 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नियामक प्राधिकारी

OW OPEN AT PACIFIC MALL, DEHRADUN

को समाधान पोर्टल की नियमित समीक्षा व शिकायतों के त्वरित निवारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पिछली समीक्षा बैठक के पांच लंबित प्रकरणों की स्थिति भी देखी गई, बताया गया कि सभी प्रकरण निस्तारित हो गए हैं।

शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान देहरादून, चमोली, चंपावत, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल के कुल 16 प्रकरणों पर शिकायतकर्ताओं से सीधे बात की गई। इसके साथ ही निदेशालय स्तर की चार शिकायतों और सचिव स्तर की नौ शिकायतों की समीक्षा हुई। बैठक में समाज कल्याण और जनजाति कल्याण के कुल तीन प्रकरण थे, परंतु इन विभागों का कोई

स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और आपदा प्रबंधन विभाग को भी आड़े हाथों लिया, जिन्होंने बैठक के ठीक एक दिन पूर्व शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने समाधान पोर्टल पर ऑटो एस्केलेशन भी लागू करने का निर्देश दिया, जिससे एक तय समय सीमा में निस्तारण न होने पर शिकायत सीधे अगले उच्चाधिकारी के पास पहुंच जाए।

देहरादून के कदम सिंह हटवाल ने राजस्व अभिलेखों मे नाम गलत दर्ज होने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतकर्ता को सुना और डीएम देहरादून को पटवारी की

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून
(भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) प्राधिकरण, सेल)
4th फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त Real Estate क्षेत्र में कार्यरत Real Estate Promoters को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Real Estate (Regulation & Development) अधिनियम, 2016, दिनांक 01 मई 2017 से सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी हो गया है। जिसके अन्तर्गत Real Estate के क्षेत्र की आवासीय, व्यावसायिक तथा भूखण्ड आधारित परियोजनाओं का पंजीकरण आवश्यक है। ऐसी परियोजनाएँ जिन पर विकासकर्ता द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 से पूर्व Completion Certificate नहीं लिया गया है, ऐसी सभी परियोजनाओं का पंजीकरण दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक अनिवार्य था। शासन द्वारा पूर्व के शासनादेश संख्या 1364/V-2-2017-79(आ0)/2016 दिनांक 29.08.2017 को अधिक्रमित करते हुये शासनादेश संख्या 178/V-2-2018-79(आ0)/2016 दिनांक 01 फरवरी, 2018 के अनुसार पंजीकरण हेतु शास्ति की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की गयी है:-

वर्तमान तिथि से दिनांक 28.02.2018 तक	शून्य प्रतिशत
दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत के 1%
दिनांक 01.04.2018 से 30.04.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत के 2%
दिनांक 01.05.2018 से 31.05.2018 तक	परियोजना की अनुमानित लागत के 5%
दिनांक 01.06.2018 के उपरान्त	परियोजना की अनुमानित लागत के 10%

उक्त के सम्बन्ध में राज्य के समस्त Real Estate Promoters को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये सूचित किया जाता है कि वह आवश्यक रूप से अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें। पंजीकरण हेतु उक्त की वेबसाइट www.uhuda.org.in में RERA Online लिंक के माध्यम से परियोजना का पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण में किसी भी प्रकार की समस्या हेतु दूरभाष संख्या 0135-2719500 व रेरा हेल्प डेस्क नम्बर 8859901717 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नियामक प्राधिकारी

केंद्र

अमर उजाला

देहरादून।

ग्रीन बोनस के
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र
बचाव में उतरे
उत्तराखंड को इ
उदार है और इस
केंद्र सरकार से
यह बात उन्होंने
का जिक्र न हो
में कही।

ग्रीन बोनस व
की सरकार पर
हरीश रावत, प्रदे
व राज्यसभा सां
पर अपनी प्रतिक्रि

अमर उजाला
03-02-18